प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 03.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➢ लूट की घटना का अनावरण, लूटी गयी धनराशि के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2019 को थाना को0 पड़रौना पुलिस टीम द्वारा मुखवीर की सुचना पर रेलवे स्टेशन पड़रौना के पास से अभियुक्त चुनमुन कुमार पुत्र नवल राय साकिन मुहम्मदपुर दुम्मा थाना केसरिया जनपद पूर्वी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गयी घनराशि में से रु0 10,000 नगद बरामद कर घटना का सफल अनानरण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.7.2019 को वादिनी सुमित्रा मध्देशिया w/o दीपक R/O राजपुत कालोनी पड़रौना कुशीनगर से कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा 250000 रूपये की लूट की गयी थी, जिसके संम्बन्ध में थाना को0 पड़रौना पर मु0अ0सं0 377/2019 धारा 394, Ipc बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था| पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा तत्काल घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। पुलिस द्वारा घटना को विकसित कर घटना में शामिल अभियुक्त चुनमुन कुमार को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी धनराशि में से रुपया 10,000 बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. चुनमुन कुमार यादव पुत्र नवलराय साकिन मुहम्मदपुर दुम्मा थाना केसरिया जनपद मोतिहारी बिहार।

बरामदगी का विवरण-

1. लूटी गयी धनराशि रुपया 10,000 नगद ।

बरामदगी / गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार राय थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 श्री विवेकानन्द यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।
3. का0 जमील खां थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।
4. का0 हिमांशु सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।
5. का0 विजयबहादुर सिंह थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।
6. का0 लालबहादुर यादव थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर।

➢ चोरी की 05 अदद मोबाइल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 3.08.2019 को मुखबीर सूचना पर कसया पुलिस टीम व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा प्रेमवलिया चौराहा के पास से 03 मोबाइल चोर क्रमशः 1.मोनू S/Oजगदीश सिंहR/O खेदनी थाना कसया जनपद कुशीनगर, 2.परमेश्वर गिरी S/O शेषनाथ गिरी R/O सपही टड़वा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, 3. रुपेश कुमार सैनी S/O रामबहार सैनी R/O रामपुरगढ़ थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मु0अ0सं0 435/19 धारा 380, 411 भादवि से सम्बन्धित एक अदद मोबाईल व अन्य चोरी की चार अदद मोबाइल फोन बरामदगी करने में सफलता प्राप्त किया गया है। बरामदगी / गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 436/19 धारा 41/411 भादवि के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोनूS/Oजगदीश सिंहR/O खेदनी थाना कसया जिला कुशीनगर।
2. परमेश्वर गिरी S/O शेषनाथ गिरी R/O सपही टड़वा थाना तुर्कपट्टी जिला कुशीनगर।
3. रुपेश कुमार सैनी S/O रामबहार सैनी R/O रामपुरगढ़ थाना तरकुलवा जिला देवरिया।

विवरण बरामदगी -

1. चोरी के 5 अदद मोबाईल फोन ।
2. अपाची मोटर साइकिल बिना नम्बर।

बरामदगी / गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0श्री विशाल सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर।
2- का0 मानवेन्द्र सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर।
3- का0 अमित कुमार वर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर।
4- का0 सोनू कुमार साह थाना कसया जनपद कुशीनगर।
5- का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम कुशीनगर।
6- का0 अमित सिंह स्वाट टीम कुशीनगर।

➢ चोरी की एक अदद मोटर साइकिल व असलहा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.08.2019 को थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर पकड़ी चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों क्रमश: 1-दिनेश यादव पुत्र रामविलाश यादव साकिन खरहरवा थाना ऊंचका गाँव जनपद गोपालगंज बिहार, 2- नितीश कुमार सिंह पुत्र राजेश सिंह साकिन जलालपुर थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मु0अ0सं0 347/19 धारा 379/411 भादवि0 से सम्बन्धित चोरी की गई एक अदद मोटर साइकिल की बरामदगी करते हुए अभियुक्त नितीश कुमार सिंह के पास से एक अदद कट्टा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नितीश कुमार सिंह के पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दिनेश यादव पुत्र रामविलाश यादव साकिन खरहरवा थाना ऊंचका गाँव जनपद गोपालगंज बिहार।
2-नितीश कुमार सिंह पुत्र राजेश सिंह साकिन जलालपुर थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज बिहार।

विवरण बरामदगी-

1. चोरी की एक अदद मोटर साइकिल सं0 UP57AL7863।
2. एक अदद कट्टा 12 बोर 02 अदद कारतूस 12 बोर।

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
2. हे0का0 अमरनाथ यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।
3. हे0का0 रामजीत यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।

➢ वांरटीयों की गिरफ्तारी-

थाना ने0 नो0–

थाना ने0 नौ0 पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी इस्लाम पुत्र सफी साकिन मड़ार विन्दवलिया थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 230/18 धारा 128 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-

थाना तुर्कपट्टी –

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1-रिंकु पुत्र रविन्द्र, 2-गुड्डु पुत्र रविन्द्र साकिनान महन्थपट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 208/19, 209/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना अहिरौली बाजार–

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1-प्रदीप पुत्र सीताराम साकिन मंसुरगंज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, 2-महगु पुत्र कोदई साकिन / थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, 3-राजवंशी पुत्र ठगई साकिन सेन्दुआर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमश: मु0अ0सं0 172/19, 173/19,174/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रामकोला –

थाना रामकोला पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामप्यारे साकिन सिधावे टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 20 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0 436/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 14 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➢ कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-43 वाहन से शमन शुल्क- रु0-15100 ।
2. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-06)
3. वारंटीयों की गिरफ्तारी- (कुल-01)
4. **आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-06 अभि0-06 बरामदगी- 70 लीटर अवैध कच्ची शराब ।**

मीडिया सेल
कुशीनगर।